प्रेषक,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद श्रावस्ती।

सेवा मे,

1. अभिहित अधिकारी खादय सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, श्रावस्ती ।
2. सहायक संभागीय परविहन अधिकारी,श्रावस्ती।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत।
4. जिला पंचायत राज अधिकारी।
5. समस्त खण्ड विकास अधिकरी, जनपद श्रावस्ती।

पत्रांक : मु.चि.अ./तम्बाकू नि. प्रकोष्ठ/2020–2021/5298-308 दिनांक :10.07.2020

विषय : सार्वजनिक स्थानों पर पान मसाला/तम्बाकू/अन्य तम्बाकू उत्पाद प्रतिबंधित एवं आवश्यक कार्यवाही के सम्बन्ध में।

आज पूरा विश्व कोरोना (COVID–19) महामारी के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है। उत्तर प्रदेश भी इस संघर्ष से अलग नही है। हम इस महामारी को देखते हुए जनपद में आम जन की सुरक्षा को लेकर सभी आवश्यक कदम उठाये। प्रदेश की अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन यापन की दृष्टि से अनलॉक में कई प्रकार की छूट दी गयी है जरुरत के लिए बाजार एवं अन्य गतिविधियाँ शुरू कर दी गयी है छूट के बाद ऐसे अनेक मामले सामने आ रहे हैं जहाँ गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया है या नहीं किया जा रहा है। आप सभी अवगत कराना है कि कोरोना (COVID–19) अभी खत्म नही हुआ है सावधानी ही संक्रमण से सुरक्षा का उपाय है ।

चूँकि प्रदेश मे लगभग 29.4% लोग धूम्रपान रहित तम्बाकू का किसी न किसी रूप से सेवन करते हैं जो कि वर्तमान में तम्बाकू एवं पान– मसाला का सेवन कर इधर–उधर थूकने से कोरोना वाइरस (कोविड–19) को फैलने में सहायक हो सकता है एवं प्रधानमंत्री द्वारा बहुउद्देशीय स्वच्छ भारत मिशन व अन्य बीमारियों की रोकथाम हेतु भी तम्बाकू व पान मसाला का सेवन बड़ी बाधा है।

अतः कोरोना वाइरस (COVID–19) को ध्यान मे रखते हुए आपसे अनुरोध है कि आप उक्त को ध्यान मे रखते हुए अपने दैनिक अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, पान–मसाला खा कर इधर–उधर तथा खुली सिगरेट की बिक्री एवं हुक्का के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ उक्त कृत्य करते हुए पकड़े जाने पर कोटपा–2003 के नियमों/ उपनियमों अन्तरगत नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करे।

10/7/2020

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद श्रावस्ती।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार/
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. राज्य नोडल अधिकारी राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी महोदय, श्रावस्ती।
4. मुख्य विकास अधिकारी, श्रावस्ती।
5. यू0पी0वी0एच0ए0, लखनऊ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद श्रावस्ती।

Scanned with CamScanner